न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 76 / 2024	2024 / 130	28.11.2024	27.06.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह, निवासी ग्राम खेडली सैयद, तहसील व जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 16.10.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री कृष्ण कुमार बॉयला, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह, निवासी ग्राम खेडली सैयद, तहसील अलवर की दा निहारी एक्सप्रेस, होटल हनुमान सर्किल, अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह, निवासी ग्राम खेडली सैयद, तहसील अलवर उपस्थित मिले। श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया।

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह द्वारा वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री राजेश कुमार के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसियक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया।

मौके पर उक्त कब्जेराज 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै0 सुमन एचपी गैस, अलवर के प्रतिनिधि श्री महावीर पुत्र श्री बाबूलाल, ग्राम बावरिया, तहसील बानसूर को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अ। रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम
अलवर (राज0)

न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को जारी नोटिस के संबंध में अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब पेश कर कथन किया गया है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रतिष्ठान दा निहारी एक्सप्रेस, होटल हनुमान सर्किल, अलवर का दिनांक 16.10.2024 को निरीक्षण किया गया था। जिस समय प्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर कामर्शियल गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जा रहा था। लेकिन प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर प्रार्थी के दो घरेलू गैस सिलेण्डर (उपभोक्ता संख्या 617541 यूनिक कन्ज्यूमर आईडी 12403408000119 जो मैसर्स सुमन गैस सर्विस, देहली रोड, मूंगस्का, अलवर राजस्थान के यहाँ से जारी है), जो खाली हो गये थे तथा प्रार्थी के घर पर किसी भी व्यक्ति के न होने के कारण प्रार्थी द्वारा भरवाने के लिए अपने प्रतिष्ठान पर रखे हुए थे, को प्रार्थी के यहाँ से जब्त कर लिया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर कभी भी किसी भी समय घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं किया गया है तथा न ही कभी आयन्दा भविष्य में अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जावेगा।

अतः जवाब नोटिस श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को नोटिस के भार से मुक्त फरमाते हुए प्रार्थी के यहाँ से जब्त किए गए दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को प्रार्थी को दिए जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह की दुकान पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। वक्त जांच अप्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रामसिंह द्वारा घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री राजेश कुमार के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसियक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद एवं उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)